कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा–मा /संस्था /सी–2 /नियुक्ति–वाणिज्य /पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 द्वारा श्री पवन कुमार शर्मा का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता वाणिज्य के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कनेरा (चित्तोड़गढ़) पदस्थापित किया गया था ।

श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा आदेश कमांक शिविरा–मा /संस्था /सी–2/ नियुक्ति–वाणिज्य /पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 के कम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 1869/2016 दायर की गई । जिसके कम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.02.2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा दिनांक 09.03.2016 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मैरिट वाले अभ्यार्थीयो को गृह जिलें मे पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हे गृह जिले से बाहर पदस्थापन दिया गया है, इस लिए उन्होने गृह जिलें में पदस्थापित करनें बाबत निवेदन किया ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विधालय में रिक्त पद के विरुद्व पदस्थापित किया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नही हैं। श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कनेरा (चित्तोडगढ) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबधित सूचित हो ।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/कोर्टकेस/2015
दिनांक – 04/04/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1.संबधित उपनिदेशक माध्यमिक

2.संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक

3.संबधित संस्था प्रधान राउमावि

4.संबधित कार्मिक

5.गार्ड पंजिका

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर